



## 20800 - कुर्बानी के जानवर का एक मुसलमान द्वारा कुर्बानी के इरादे से ज़बह किया जाना आवश्यक है

### प्रश्न

कनाडा के एक क्षेत्र में और शायद अन्य क्षेत्रों में भी, जब हम भेड़-बकरी या गाय खरीदने के लिए खेतों में जाते हैं, तो वह हमें प्रति पाउंड की दर से (यानी वजन के आधार पर) क्रीमत बताता है। इसका मतलब यह है कि जानवर ज़बह करने के बाद, वह उसका वजन करता है और हमसे प्रति पाउंड एक निश्चित राशि वसूल करता है। इसमें जानवर की क्रीमत, जगह (परिसर) का उपयोग करने, काटने और पैकेजिंग की क्रीमत शामिल होती है। क्या कुर्बानी में यह जायज़ है? या यह कि हमें पहले कुर्बानी का जानवर खरीदना चाहिए और उसकी क्रीमत भुगतान करना चाहिए? अधिकांश किसान ऐसा करने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि इससे उन्हें ज़बह करने और काटने की क्रीमत का नुकसान होगा।

### विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

कुर्बानी के जानवर में यह शर्त (आवश्यक) है कि उसे कुर्बानी के इरादे से ज़बह किया जाए और जो जानवर माँस के लिए ज़बह किया गया है, वह पर्याप्त नहीं है।

इमाम नववी रहिमहुल्लाह ने “अल-मजमू” (8/380) में कहा : नीयत का होना कुर्बानी के शुद्ध होने के लिए एक शर्त है।” उद्धरण समाप्त हुआ।

प्रश्न में वर्णित तरीके से कुर्बानी के जानवर को खरीदने में कोई आपत्ति की बात नहीं है, बशर्ते कि कार्यकर्ता उसे कुर्बानी करने के इरादे से ज़बह करे। यह उस स्थिति में है जब कार्यकर्ता मुस्लिम है, अन्यथा आप लोगों में से कोई व्यक्ति उसे ज़बह करे, फिर कार्यकर्ता उसे काटने का कार्य करे।

शैख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह ने “अश-शरहुल-मुम्ते” (7/494) में फरमाया :

“कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने में ‘किताबी’ (यानी किसी यहूदी या ईसाई) को वकील (प्रतिनिधि) बनाना सही नहीं है, भले ही किताबी द्वारा ज़बह किया गया जानवर हलाल है। लेकिन चूँकि कुर्बानी के जानवर को ज़बह करना एक इबादत है, इसलिए उसमें किताबी को वकील बनाना सही नहीं है। क्योंकि किताबी इबादत और अल्लाह की निकटता के कामों के लिए योग्य लोगों में शामिल नहीं है। इसका कारण यह है कि वह एक काफ़िर है जिसकी इबादत स्वीकार्य नहीं है। जब उसके द्वारा



किया जाने वाला पूजा का कार्य स्वयं उसी के लिए मान्य नहीं है, तो उसके द्वारा किया जाने वाला पूजा का कार्य दूसरे की ओर से मान्य नहीं हो सकता। लेकिन अगर वह किसी किताबी को माँस खाने के लिए जानवर ज़बह करने के लिए नियुक्त करता है, तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है।” उद्धरण समाप्त हुआ।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।